सीएसआईआर–भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 226001
CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH
Vishvigyan Bhavan, 31 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow -226001

संख्या- C-29011/2/2023-R&A-IITR दिनांक : 01 जनवरी ,2024

कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18(1) (II) के तहत समूह क तथा ख के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2023 हेतु वार्षिक संपत्ति विवरणियों का प्रस्तुतीकरण- प्रमाण पत्र भेजने हेतु।

Sub : Submission of Annual Property Returns by Group'A' & 'B' Officers for the year 2023 u/r 18(1)(ii) of the Central Civil Services(Conduct) Rules, 1964-furnishing of Certificate-Reg.

उपर्युक्त विषयक मुख्य सतर्कता अधिकारी, सी.एस.आई.आर. नई दिल्ली के परिपत्र संख्या-15-4/33/85-ओ एंड एम (वॉल्यूम IV) दिनांक 21.12.2023 के संबंध में सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 (1)(ii) के तहत संस्थान के समूह 'क' तथा 'ख' के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) संशोधित निर्धारित प्रारूप (13 कालम वालें) में प्रस्तुत करना होता है, जिसकी समेकित सूचना मुख्य सतर्कता, सीएसआईआर को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

उपर्युक्तानुसार, 31.12.2023 को समाप्त वर्ष 2023 के लिए संस्थान के समूह 'क' तथा 'ख' के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों (लेवल-6 एवं इससे अधिक पूर्व संशोधित ग्रेड पे रू.4200 एवं इससे अधिक) 31.12.2023 को समाप्त वर्ष 2023 के लिए वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) संलग्न संशोधित निर्धारित प्रारूप (13 कालम वाले) में भरकर हार्ड कापी **दिनांक 15.01.2024** तक कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रोफार्मा भरते समय निम्न सावधानी-
(1). प्रोफार्मा में वार्षिक संपत्ति का विवरण पूर्ण रूप से भरे तथा कोई कालम रिक्त न छोड़े।
(2). प्रोफार्मा में "no change" और "same as before" का प्रयोग न करें।

इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.09.2011 तथा सी.एस.आई.आर. के परिपत्र दिनांक 15.01.2013 के अनुसार यदि अधिकारी/कर्मचारी अपना वार्षिक संपत्ति विवरण समय पर जमा नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया जाएगा।

अत: संस्थान के समूह 'क' तथा 'ख' के सभी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में वार्षिक संपत्ति विवरण भरने के साथ ही अचल संपत्ति विवरण को 31 मार्च, 2024 तक पब्लिक डोमेन (संस्थान के वेबसाइट /पोर्टल) पर दर्शाया जाना है।

KRASHNA RAJ SINGH
Digitally signed by KRASHNA RAJ SINGH
Date: 2024.01.01 16:56:25 +05'30'

(कृष्ण राज सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी

संलग्नक :
1. वर्ष 2023 के लिए ए.पी.आर. भरने हेतु निर्धारित संशोधित प्रोफार्मा।

प्रतिलिपि :

1. समस्त समूह 'क' तथा 'ख' पदधारी अधिकारी/कर्मचारी (लेवल-6 एवं इससे अधिक अथवा पूर्व संशोधित ग्रेड पे रू-4200 एवं इससे अधिक) को वेबमेल द्वारा प्रेषित।
2. सूचना पट्ट मुख्य एवं गेहरू परिसर।
3. प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव को इंट्रानेट पर अपलोड करने हेतु।
4. कार्यालय प्रति।